राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर

परिवहन मार्ग, जयपुर - 302001

बोली प्रपत्र-"A"

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, स्टेशनरी भण्डार, मुख्यालय जयपुर के लिए वर्ष 2020–2021 (एक वर्ष) हेतु निम्नलिखित सामान की खरीद / दर संविदा किये जाने हेतु निर्धारित बोली प्रपत्र में मोहरूबन्द बोली आमंत्रित की जाती है।

बोली के लिए संबंधित सामानों का विवरण एवं अन्य सूचनाएं निम्न

बोली प्रपत्र	सामान का विवरण	अनुमानित राशि	बोली प्रतिभूति राशि
1	जनरल स्टेप्नरी एवं लेखन सामग्री का क्य	5,00,000 / —	10,000/-

 बोली प्रपत्र शुल्क राशि – 200/– रूपये नगद रसीद/बैंक डीडी/बैकर्स चैक से प्राप्त किया जा सकता है ।

2. बोली प्रतिभूति राशि— उपरोक्तानुसार नगद राशि / बैंक डीडी / बैंकर्स चैक / अधिसूचित बैंक की एफ०डी०आर० जो कि वित्तीय सलाहकार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर के नाम देय हो।

3. बोली प्रपत्र विकय / जारी की दिनांक— 29.06.2020 को 13:00 बजे तक।

4. बोली प्रपत्र जमा की दिनांक-08.07.2020 को 15:00 बजे तक।

5. बोली खोलने की दिनांक — 08.07.2020 को 15:30 बजे।

6. बोलो प्राप्त एवं खोलने का स्थान— महा प्रबन्धक (वित्त) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर।

7. बोली की विधि मान्य कालाविध 90 दिन होगी।

संलग्न-उपरोक्त बोली के लिए संबंधित सामान का विवरण पत्र एवं सामान्य शर्ते।

महा प्रबन्धक (वित्त)

Due on	
Date of opening	

RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION PARIVAHAN MARG, CHOMU HOUSE, JAIPUR

BID FORM-A

N.B. This form is not transferable and can be use of only by the person/party in whom favour it is
issued
1. Subject:
2. Reference: The Financial Advisor, Rajasthan State Road Transport Corporation, Jaipur, Bid Notice No dated
3. Adddress : The Financial Advisor, Rajasthan State Road Transport Corporation, Jaipur.
4. Name & Full Address of Bider :
5. The Bid fee amounting to Rs has been deposited vide Receipt No./DD No./Bankers Cheque No Dated
6. I/We agree to abide by all the terms and conditions mentioned in above Bid notice No. dated and also the further terms and conditions of the said Bid notice given in the attached sheets all pages of which have been signed by me/us in taken of my/our acceptance of terms and conditions mentioned therein and are returned herewith along with Bid.
7. The rate for the supply of the articles are as given in the enclosed list.
8. The supply shall be completed as per schedule of the purchase order.
9. The rates quoted above are valid upto period of one year from the date of opening of Bid for the purpose of communicating acceptance by the Corporation.
10. Bankers Cheque No. /Demand Draft/Deposited Receipt No Dated for Rsin favour of the Financial Advisor, RSRTC, Jaipur to cover the Bid security Money along with the Income Tax clearance certificate is submitted herewith.
Encl. As Above. Signature of the Bider along with Seal
Due on
Date of opening

अनुसंलग्नक "अ" (Appendix-A)

मैं / हम शपथपूर्वक घोषणा करता हुं / करते है कि जिस वस्तु की बोली प्रस्तुत की गई है, हम उसके अधिकृत विकेता (Authorised Dealer) है।

मैं /हमारी फर्म एक निजी / प्राईवेट लिमिटेड / पब्लिक लिमिटेड फर्म / कम्पनी है जिसके निदेशक, एकल स्वामी / पंजीकृत साझेदार / सचिव / प्रबन्धक निम्न प्रकार है:--

- 1. नाम
- 2. स्थायी पता
- 3. अस्थायी पता
- 4. फर्म के साथ सम्बन्ध

राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा हमारी फर्म / संस्था को किसी सरकारी विभाग अथवा स्वायत्तशासी संस्था के साथ व्यवसाय करने से कभी भी ब्लैकलिस्ट अथवा विवर्जित (Debar) नहीं किया गया है।

यदि उक्त घोषणा असत्य पाई जाती है तो बोलीदाता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही के साथ—साथ बोली प्रतिभूति राशि / कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि (जैसी भी स्थिति हो) जब्त कर ली जावेगी तथा सफल बोलीदाता की स्थिति में दर अनुबन्ध समाप्त कर दिया जावेगा। मेरे / हमारे GST संख्या है।

(प्रतिलिपि संलग्न करे।)

बोलीदाता के हस्ताक्षर एवं सील



राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर

वर्ष 2020—2021 (एक वर्ष) हेतु विभिन्न प्रकार की खरीदी जाने वाली जनरल स्टेशनरी एवं लेखन सामग्री का विवरण पत्र

		क्य किये जाने		दर
क.	नाम / सामान विवरण	वाली अनुमानित	मेक	
स.	नान/ सानाग ।पपरन	मात्रा		अंको / शब्दो में
		्र गात्रा		
अ	जनरल स्टेशनरी			
બ	officer restrict		a residence	
1	फाईल पेड साईज 24.5×36.5 सेमी, अनुमानित 28 औस स्ट्रा	15000 नग		
	बोर्ड एवं बाईडिंग फुल साइज फ्लेप (प्रिन्टेड) डोरी की			
	लंबाई 38 इच हो			1 187
2				·
2	फाईल कवर (प्रिन्टेड) (साईज 23×36 सेमी) आईलेट्स कम	20000 नग	-	1
	से कम ¾'' की दूरी पर हो।	*	, 4	
3	फाईल लेस सुपीरियर साईज 60 से.मी. (9 सूत)	25000 नग		
	(अच्छी गुणवत्ता)			
4	फाईल टैग्स सुपीरियर	50000 नग		,
	(लम्बाई 8 इंच हो)	·		
5	स्टेपलर पिन नः 10-1 एम	400 पैकिट		
	(कोरस / कंगारू मेक)			
	र विकास कर विकास कर के लिए के	100 पैकिट		
6	स्टेपलर पिन नः 24/6 — 1 एम (बडी) (कोरस/कंगारू मेक)	100 41470		
	(पगस्त) प्रभारक निय			
7	स्टेपलर मशीन नः 10 (छीटी साईज).			
	(कंगारू / कोरस मैक)	60 नग		
8	स्टेपलर मशीन नः 24/6 – 1 एम (मध्यम साईज)	30 नग		
	(कंगारू / कोरस मैक)			
			-	
9	स्टेपलर मशीन (एमीनेट) नः एच.पी. 45 (बडी साईज)	10 नग		
	(कंगारू / कोरस मैक)	5.		
	2 22 2 111 12 2 2 22 (7177)	500 EU		
10	लीड पैन्सिल, Bonded lead एच.बी—621 (नटराज)	500 नग		
11	पैन्सिल रबर ("नटराज" 621 प्लास्टो)	200 नग		/
-7.				1
12	पैन्सिल शार्पनर (अप्सरा) लांग पॉईन्ट	200 नग		
= 1	विथ जापानी टेक्नोलोजी	ž _ ~		
				,



		क्य किये जाने		दर
क.	च्या /च्यापाच विकास	वाली अनुमानित	मेक	44
स.	नाम / सामान विवरण		497	अंको / शब्दो में
\ \.		मात्रा		जिया/ राज्या न
		1		
13	प्लास्टिक स्केल 12'' (कोरस/नटराज)	50 नग	÷, ,	
	अच्छी किस्म का हो			
		-		
14	खाकी लिफाफे साइज 11"×5" (प्रिन्टेड) (54 जी.एस.एम)	50000 नग	71	-
	सुपीरियर ।			
*1	g invav			
15	खाकी लिफाफे साइज 9"×4" (प्रिन्टेड) (54 जी.एस.एम)	60,000 नग		
	स्पीरियर ।	× = 10,		
	gantat 1	*****	(4)	/ '
16	खाकी लिफाफे साइज 6.5"×3.5" (प्रिन्टेड) (54 जी.एस.एम)	50,000 नग		
"	· >-		-	
*	सुपीरियर ।			
1-		. 1000 नग		
17	खाकी लिफाफे साइज 16"×12" (प्रिन्टेड) (75 जी.एस.एम)	1000		· ·
	सुपीरियर		-	
	2-7-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0	4000 नग		
18	कपर्डे के लिफाफे सुपीरियर	4000 111		r - 2
	(साइज 16''×12'')	, = =		
19	प्लास्टिक / लेमीनेटेड कोटेड लिफाफे 11"×5"	2000 नग		1
20	प्लास्टिक / लेमीनेटेड कोटेड लिफाफे 9"×4"	2000 नग	1.0	,
	Ψ			
21	प्लास्टिक / लेमीनेटेड कोटेड लिफाफे ए-4	200 नग		
-75		50 नग		
22	डाक पैड सुपीरियर साईज 26×35 से.मी.	ויף טפ	e 5	
		100 नग	=	
.23	सफेद फ्लूड (करेक्शन फ्ल्यूड) (15 एमएल) – कोरस मेक	100 44.	,	
		100 नग		
24	सफेद फ्लूड (करेक्शन फ्ल्यूड) (पेन)	100 114		
	(2)	100 नग		
25	स्लिप बुक नः 8 (प्रिन्टेड) 18"×22"/8 (40 पन्ना प्रत्येक)	. 100 / 1		
	(उपरी आवरण प्लास्टिक कोटेड) प्रत्येक पन्ना प्रिन्ट हो			
	·	100 नग		
26	स्लिप बुक नः 8 (प्रिन्टेड) 18"×22"/8, (80 पन्ना प्रत्येक)	ויף 100		
	(ऊपरी आवरण प्लास्टिक कोटेड) प्रत्येक पन्ना प्रिन्ट हो			
		· 100		
		000 च		
27	स्लीप बुक नः 8 (प्रिन्टेड) 18"×22"/8, (20 पन्ना प्रत्येक)	200 नग		
	(ऊपरी आवरण प्लास्टिक कोटेड) प्रत्येक पन्ना प्रिन्ट हो			
-		-		
				7
		१५० पैकिट	-	-
28	यू क्लीप / जैम क्लिप (100 नग प्रति पैकिट)	150 पाकट		
-	(कोरस / समकक्ष) प्लास्टिक कोटेड			
				-

	=	क्य किये जाने		777
क. स.	नाम/सामान विवरण	वाली अनुमानित मात्रा	मेक	दर अंको/शब्दो में
29	अ) सेलोटेप साइज ½"×35 मीटर	100 नग		
	ब) सेलोटेप साइज 1"×35 मीटर	150 नग	igna — —	
30	पिन कुशन (सुपीरियर) (बेस्ट)	100 नग		
31	प्लास्टिक एल फोल्डर सुपीरियर ट्रांसपेरेन्ट एल शेप एफ.एस.	400 नग		
	साइज (सफेद) – सोलो मैक	- 100		1
32	प्लास्टिक एल फोल्डर सुपीरियर ट्रांसपेरेन्ट एल शेप ए=4 साइज (सफेद) – सोलो मैक	1000 नग		
33	बोरर	100नग		
34	रंगीन फ्लैग स्लीप (कलरड एडसिव स्लिप पैड) तीन रंगों में (डेसमेट)	200 पैड	-	
35	फेवी स्टीक (8 ग्राम में) Pidilite Co.	250 नग		
36	स्पाईरल नोट बुक (रंगीन–5 रंगों में) नीलग्रगन न0 67	150 निग		
37	A. आर बी:बाइन्डिंग रिजस्टर नं० २ लखनक कॉपी वाला रिजस्टर्ड ट्रेडमार्क नं०२४७५३४	०७% नग		
	Bi आर.बी.बाइन्डिंग रिजिस्टर नं० 3 लखनक कॉपी वाला रिजिस्टर्ड ट्रेंडमार्क नं0247534	08∜नग	=	
	C. आर.बी.बाइन्डिंगः रजिस्टरः नं० ४ लखनऊ कॉपीः वाला	10ेनग		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
19 34	रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नं0247534 D आरंबी बाइन्डिंग रजिस्टर नं0 5 लखनक कॉपी वाला रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नं0247534	०५ नग		
1	E. आर.बी.बाइज्डिंग रिजिस्टर न० ६ लखनऊ कॉपी वाला रिजिस्टर्ड ट्रेंडमॉर्क न0247534	05 त्रग		
1 1 1	F. आर.बी.बाइन्डिग रिजिस्टर नं० ७ लखनक कॉपी वाल रिजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नं0247534	1.71		
	F आरबी बाइन्डिंग रिजस्टर नं० ४ लखनक कॉपी वाल रिजस्टर्ड ट्रेडमार्क नं0247634	1 श्री नग		



क. स.	नाम/सामान विवरण	कय किये जाने वाली अनुमानित मात्रा	मेक	दर अंको / शब्दो में
38	A. आर.बी.बाइन्डिंग लेजर नं० 3 लखनक कॉपी वाला रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नं0247534	5 नग		
-	B. आर.बी.बाइन्डिंग लेजर नंo 4 लखनऊ कॉपी वाला रजिस्टर्ड ट्रेंडमार्क नंo247534	5 तम		
	C. आर.बी.बाइन्डिंग लेजर नं0 5 लखनऊ कॉपी वाला रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नं0247534	05्नग		
	D. आर.बी.बाइन्डिंग लेजर नं0 6 लखनऊ कॉपी वाला रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नं0247534	०५ नग	- 2,	
	E. आर.बी.बाइन्डिंग लेजर नं० 7 लखनऊ कॉपी वाला रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नं0247534	01 त्रग		
	F. आर.बी.बाइन्डिंग लेजर नं० 8 लखनक कॉपी वाला रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नं0247534	01 जग		:
39	आलपीन (प्लास्टिक पेकिंग में 100 आलपीन प्रति पेकेट) (अच्छी क्वालिटी)	1000 पैकेट		
40	पंचिंग मशीन कंगारू मैक (मीडियम साईज)	20 नग		
41	धागा सफेद मोटा सुपीरियर गट्टे में (लिफाफों को बांधने के लिये) (अच्छी क्वालिटी)	10 किलोग्राम		
42	स्टाम्प पेड मिडियम साइज (110 एम.एम.×70 एम.एस.) अशोका मेक	50ः तस		
43	स्टाम्प पेड इंक (30 एम.एल.) अशोका मेक	. 50नग		
44	रिंग फाइल ए-4 साईज (अंकिता मैक)	10 नग		
45	रिंग फाइल एफ.एस.साईज (अंकिता मैक)	10 नग		
46	गोंद की शीशी 100 एम०एल० (केमलीन मैक)	20 नग		
- 1 × 2		7 1		

Im

- 1				
	लेखन सामग्री			- -
+	ऑफिसर पैन (रोरीटो जौटक जेल पेन)	200 नग		_
+	रोरीटो जौटक जेल इंक रिफिल	नीली — 400 नग	The state of the s	
+	रेनोल्ड पेन 0.45 (नीला)	नीला — 200 नग		
+	रेनोल्ड रिफिल 0.45 (नीली)	नीली — 200 नग	ed.	
-	रेनोल्ड पेन 0.45 (काला)	काला – 50 नग	alan a ar ar	* * P
	रेनोल्ड रिफिल 0.45 (काली)	काली — 100 नग		7
7.	सैलो फाईन ग्रिप पॉइन्टेड बॉल पेन	नीला - 700 नग		
3.	सैलो फाईन ग्रिप बॉल पेन पॉइन्टेड रिफिल	नीली - 500 नग		1.00
9.	पायलेट वी-5 पेन (नीला)	नीला — 150 नग		
10	पायलेट वी-5 पेन (काला)	काला - 50 नग		
11	पायलेट वी-7 पेन(नीला)	नीला — 100 नग		1
12	पायलेट वी—७ पेन(काला)	काला — 20 नग		
13	यूनीबाल पेन नीला	नीला — 50 नग		
14	हाईलाईटर (फ्लोरोसेन्ट पेन) – लग्जर मैक	100 नग (20 सेट)		
15	हाईलाईटर (फ्लोरोसेन्ट पेन) — लग्जर मैक (पीला)	(ਧੀला) 50 ਜग (10 सੇਟ)		
14.	हाईलाईटर इंक (फ्लोरोसेन्ट) - फेबरकेसल	पीला -10 नग		
15	स्केच पेन (लग्जर)	20 सेट		
16	परमानेन्ट मार्कर बोल्ड ब्लैक	25 नग		
17	सिंगल साइड कार्बन (कोरस मल्टीकापी गोल्ड)	नीला —25 पैकेट		
18	छोटी रिफिल (फ्लेयर बॉल पेन रिफिल)	100 नग	-	



खुली बोली की सामान्य शर्ते :

1. बिंख के साथ उपरोक्त सामान का सैम्पल दिया जाना आवश्यक है । सैम्पलों के अभाव में बिड मान्य नहीं होगी। अनुमोदित सैम्पल (जिसका कय आदेश दिया जाता है) के अलावा अन्य सैम्पल लौटाने योग्य है । संबंधित फर्म को बिड के समय सैम्पल लगाने का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

2. जिन मदों के आगे "प्रिन्टेड" शब्द लिखा है, उन आइटमों पर "राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम" एवं निगम का मोनोग्राम मुद्रित करना होगा । रिलप पेड बुकों का प्रत्येक पृष्ठ लाइनदार होगा एवं मृख्य पृष्ठ प्लास्टिक

कोटेड होगा ।

3. उवत सामान की खरीद वर्ष पर्यन्त आवश्यकतानुसार की जावेगी। सामान की दर्शायी गई मात्रा को निगम द्वारा घटाया / बढाया जा सकता है।

4. दरों में कोई किसी भी प्रकार का कर/जी०एस०टी० अतिरिक्त देय हो तो रपष्ट अंकित करना होगा, अंकित नहीं होने की दशा में दरें सभी कर सहित (paid) मानी जावेगी। दरों की वैधता अवधि एक वर्ष के लिये मान्य होगी।

5. सामान की आपूर्ति कयादेश के डिलीवरी शिड्यूल के अनुसार करनी होगी । डिलीवरी शिड्यूल में आवश्यकतानुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है ।

6. बोली प्रतिभूति राशि 10000/— रूपये बोली के साथ नकद राशि की रसीद / डी.डी. / बैंकर्स चैक / अधिसूचित बैंक की एफ0 डी० आर0 जो वित्तीय सलाहकार, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर के नाम जमा कराना आवश्यक होगा। इस राशि पर बोलीदाता को कोई ब्याज देय नहीं होगा।

7. बिड के लिफाफे पर "बोली जनरल स्टेशनरी एवं लेखन सामग्री" अंकित

करना आवश्यक होगा। 8. सामान की दरें उपरोक्त निर्धारित प्रपत्र में ही दी जावें ।

9. सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जायेगी ।

10. सामान की आपूर्ति स्टेशनरी स्टोर, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, परिवहन मार्ग, जयपुर में करनी होगी ।

11. निगम को बिड स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

12. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।

13. बोली की अन्य शर्ते बिड के साथ संलग्न है जिस पर बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर के आवश्यक है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

बोली एवं अनुबन्ध की शर्ते:-

01.बोलीदाता बोली की शर्तो को ध्यानपूर्वक पढें एवं इसकी शर्तो की पूर्ण पालना सुनिश्चित करावे।

02.बोलियों के खोलने के समय बोलीदाता स्वयं उपस्थित हो सकते है अथवा

अपना एक प्रतिनिधि इस हेतु अधिकृत कर सकते है।

03. सीलबन्द लिफाफे में नमूने (Sample) के साथ बोली प्रस्तुत की जानी चाहिए। लिफाफे पर बिड नोटिस संख्या तथा आपूर्ति का समय मोटे अक्षरों में अंकित किया जाना आवश्यक है।

- 04. दर प्रति इकाई किसी भी स्थिति में परिवर्तन योग्य नहीं है। दरों का उल्लेख अंको एवं शब्दों दोनों में किया जाना है।
- 05. बोली में अधिसूचित वस्तुओं के अधिकृत व्यवहारी (Dealer) ही बोली प्रस्तुत किये जाने के योग्य होंगे। अतः समस्त बोलीदाता अनुसंलग्नक (Appendix) "A" में निर्धारित प्रारूप में घोषणा भी बोली के साथ प्रस्तुत करेंगे।

06.सफल बोलीदाता अनुबन्ध अथवा इसका Substantial Part किसी अन्य एजेंसी को उप अनुबन्ध (Sub contract) अथवा अन्य किसी तरह से नहीं देगा।

- 07. सफल बोलीदाता द्वारा की गई आपूर्ति में सभी वस्तुए उच्चतम गुणवत्ता, मानको, टेड मार्क की होगी तथा स्वीकृत मानक नमूने (Sample) के अनुसार होगे। यदि किसी वस्तु के संबंध में कोई मानक (Standard) स्वीकृत नहीं है तो वह वस्तु भारत में उपलब्ध प्रकार की सबसे अच्छी वस्तु होगी। वस्तु की गुणवत्ता के संबंध में स्वीकृति कमेटी का निर्णय अंतिम होगा तथा सफल बोलीदाता के लिए बाध्य कारी होगा। यदि कोई सामान अनुमोदित / स्वीकृत नहीं होता है तो वह अस्वीकृत (Reject) माना जावेगा अथवा उनके स्थान पर दूसरा सामान उपलब्ध कराया जावेगा। (Replacement). इसका सारा व्यय / हानि सफल बोलीदाता द्वारा वहन किया जावेगा। निगम के अधिकृत प्रतिनिधि को अधिकार होगा कि वे किसी भी समय सामान्य समय आपूर्तिकर्ता के भवन में प्रवेश करे तथा किसी भी सामान्य समय में सामान बनाने की कार्यशाला अथवा सामान का निरीक्षण करे।
- 08. यदि अभिस्वीकृत गुणवत्ता, मेक अथवा माप के सामान के अतिरिक्त अन्य सामान की आपूर्ति की जाती है तो उनको अस्वीकृत किया जावेगा तथा उचित समय के भीतर ही आपूर्तिकर्ता द्वारा बिना कोई अतिरिक्त लागत लिये दूसरा अन्य सामान की आपूर्ति की जानी होगी ।

09. जिन वस्तुओं को अस्वीकृत (Reject) किया जाना है उन्हें तत्संबंधी सूचना के 10 (दस) दिन के भीतर सफल बोलीदाता द्वारा निगम के उल्लेखित स्थानों से उठा लिया जाना आवश्यक होगा।

10. वस्तुओं के निर्धारित स्थान पर सुरक्षित, बिना टूट-फूट के पहुंचने के लिए उचित एवं आवश्यक पैंकिंग वास्ते सफल बोलीदाता उत्तरदायी होगा । पैकिंग के लिए सामान, पैकिंग मैटेरियल, पैकिंग केस, कंटेनर तथा अन्य समान सफल बोलीदाता द्वारा निःशुल्क दिया जावेगा तथा वस्तुओं की सुपुर्दगी होने के बाद उक्त पैकिंग सामान निगम द्वारा वापिस लौटाया नहीं जावेगा । सफल बोलीदाता चाहे तो स्वय के व्यय पर सामान के रास्ते में

जावेगा । सफल बोलीदाता चाहे तो स्वय के व्यय पर सामान के रास्ते में खोने, हानि, टूट-फूट के लिए बीमा करा सकता है। सफल बोलीदाता चाहे तो, निगम के सुपुर्दगी स्थानों पर प्रेषित सामान की टूट-फूट की जांच करने हेतु अपना एजेन्ट नियुक्त कर सकता है।

11. बोली दरें FOR राज्याजप०प० निगम, मुख्यालय, जयपुर प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा दरों में समस्त तरह के कर/GST का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए । स्थानीय आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत दरों में स्थानीय भाड़ा, परिवहन व्यय तथा लोडिंग अनलोडिंग निगम मुख्यालय तक के अनुसार व्यय सम्मिलित होगा। सामान की आपूर्ति निगम मुख्यालय भवन पर दी जावेगी ।

12. जिस बोलीदाता की बोली स्वीकृत की जाती है वह निगम द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित समय सूची के अनुसार सामान की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु

उत्तरदायी होगा ।

13.यदि (आपूर्ति) सामान संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो सफल बोलीदाता को सुनवाई का एक अवसर देते हुए निगम द्वारा अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।

14. बोलीदाता द्वारा बोली—प्रपंत्र पेन से भरा जावेगा । पेंसिल से भरा हुआ बोली प्रपंत्र अमान्य होगा। बोली में कोई जोड़, घटाव, परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा ।

15. बोली प्रपत्र के अन्त में निर्धारित स्थान पर बोलीदाता द्वारा बोली एवं अनुबन्ध की समस्त शर्तो पर अपनी सहमति के रूप में हस्ताक्षर किये जाने आवश्यक है।

- 16. बोली प्रपत्र में उल्लेखानुसार आवश्यक बोली प्रतिभूति राशि भी बोली के साथ प्रस्तुत की जानी आवश्यक है। बोली प्रतिभूति राशि के बिना बोली पर विचार नहीं किया जावेगा । बोली प्रतिभूति राशि वित्तीय सलाहकार, रा०रा० प०प० निगम, जयपुर के पक्ष में निम्न प्रकार से जमा कराई जा सकती है:-
- i) नकद जमा

ii) बैंक डी.डी./पे आर्डर

iii) अधिसूचित बैंक में सावधि जमा बोली पर निर्णय के पश्चात् असफल बोलीदाताओं को उनके द्वारा जमा बोली प्रतिभूति राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी तथा सफल बोलीदाता की जमा बोली प्रतिभूति राशि 10000/— रूपये कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में समायोजित कर दी जावेगी । इस जमा पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

17.सफल बोलीदाता द्वारा बोली शर्ता की पूर्ण पालना नही किये जाने की स्थिति में निगम द्वारा पूर्ण अथवा आंशिक बोली प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकेगी।

18. राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार के उपक्रमों को RTPP RULES 2013 के नियम 42(3) एवं 75 (1) के अनुसार घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

19. सफल बोलीदाता को भुगतान / हस्तांतरण किये जाने पर प्रभावी व्यय सफल बोलीदाता द्वारा ही वहन किये जावेगे।

20. बोली स्वीकृति हेतु किसी बोलीदाता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्पर्क बनाय जाने को अवांछनीय गतिविधि माना जावेगे।

- 21. i) कयादेश में आपूर्ति हेतु निर्धारित अवधि अनुबन्ध का प्रमुख भाग माना जावेगा तथा निगम द्वारा कयादेश जारी करने पर निर्धारित अवधि में आपूर्ति प्रबन्धन करना सफल बोलीदाता का उत्तरदायित्व होगा ।

 ii) यदि सफल बोलीदाता निर्धारित अवधि में आपूर्ति कर पाने में असफल रहता है तो निगम को कारित हानि को ध्यान में रखते हुए निम्न शास्ति के आधार पर आपूर्ति का समय बढाया जा सकता है:—
- अ) निर्धारित आपूर्ति अवधि का 1/4 अवधि अ तक विलम्ब

आपूर्ति गत माल के मूल्य का ढाई प्रतिशत (2½%)

ब) निर्धारित आपूर्ति अविधि के 1/4 अविध से अधिक किन्तु 1/2 अविध तक विलम्ब पांच प्रतिशत (5%)

स) निर्धारित आपूर्ति अवधि के 1/2 अवधि किन्तु 3/4 अवधि तक विलम्ब साढ़े सात प्रतिशत (7½%)

द) निर्धारित आपूर्ति अविध के 3/4 अविध से अधिक किन्तु निर्धारित आपूर्ति अविध से अधिक नहीं होने की स्थिति में दस प्रतिशत (10%)

iii) यदि सफल बोलीदाता निर्धारित अविध में आपूर्ति नहीं कर पाता है तो केता (निगम) सफल बोलीदाता को पूर्व सूचना दिये बिना अन्य स्त्रोत से वस्तु क्य कर सकता है। ऐसा क्य सफल बोलीदाता के जोखिम पर किया हुआ माना जावेगा। बोलीदाता द्वारा निर्धारित वस्तु की आपूर्ति नहीं की जाने की स्थिति में सर्वोत्तम स्थानापन्न (Substitute) वस्तु स्वीकार करने, अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार निगम को होगा । ऐसी स्थिति में निगम को कारित हानि की पूर्ति करने का उत्तरदायित्व सफल बोलीदाता का होगा । किन्तु ऐसी क्य पर यदि निगम का कोई लाभ होता है तो वह लाभ वसूल करने का अधिकार सफल बोलीदाता को नहीं होगा । ऐसी किसी भी हानि की राशि की वसूली सफल बोलीदाता के साथ पारित सम्बन्धित अनुबन्ध में से किसी भी अन्य अनुबंध से की जा सकेगी । यदि सफल बोलीदाता के देयकों में से वसूली नहीं हो पाती है तथा सफल बोलीदाता निगम को कारित हानि की प्रतिपूर्ति एक माह में नहीं करता है तो प्रचलित कानून के अनुसार वसूली कार्यवाही की जावेगी तथा साथ ही कय समिति चाहे ती स्वविवेक से सीमित बोली का विकल्प अपनाते हुए अल्प अवधि नोटिस के आधार पर क्य कर सकती है। इसमें आपूर्ति के मूल्य का बंधन नहीं होगा । समय पर आपूर्ति नहीं होने के कारण क्यादेश निरस्त किये जाने को अनुबन्ध / बोली की शर्तों का उल्लंघन माना जावेगा तथा कय (स्वीकृति) समिति द्वारा तद्नुसार वांछित कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी।

22.(i) बोली में दर्शाई गई मात्रा अनुमानित है तथा परिवर्तन योग्य है। क्रयादेश के अनुसार यथा आदेशित मात्रा यथा समय आपूर्ति किया जाना आवश्यक है।

(ii) यदि बोली में उल्लेखित मात्रा से अधिक मात्रा का क्रयादेश जारी किया जाता है तो सफल बोलीदाता बोली की शर्तों एवं दरों के अनुसार बोली मात्रा की 50 प्रतिशत अधिक मात्रा तक आपूर्ति करने के लिए बाध्य होगा ।

(iii) यदि निगम द्वारा बोली में उल्लेखित वस्तुओं का बिल्कुल भी क्रय नहीं किया जाता है अथवा कम मात्रा में क्रय किया जाता है तो सफल बोलीदाता को ऐसी स्थिति में किसी भी तरह का दावा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा ।

23. सामान की आपूर्ति निर्धारित स्थान पर पूर्ण सही स्थिति में करने का उत्तरदायित्व सफल बोलीदाता का होगा । यदि आपूर्तिकर्ता चाहे तो स्वयं के व्यय पर आपूर्तिगत सामान का चोरी, हानि, नष्ट, आग, बाढ, दंगे आदि के सम्बन्ध में बीमा करा सकता है।

24. निगम को आपूर्ति किये गये सामान का भुगतान निरीक्षण एवं सक्षम स्वीकृति पश्चात् किया जावेगा।

25. बिना कोई कारण बताये किसी भी बोली अथवा समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा।

26. जिस आपूर्तिकर्ता का टर्न ऑवर 40 लाख से अधिक है उसे GST अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।

27.बोलीदाता को सम्बन्धित क्षेत्र के आयकर अधिकारी से आयकर भुगतान प्रमाण पत्र प्राप्त कर बोली के साथ प्रस्तुत करना होगा । जिसके अभाव में बोली पर विचार नहीं किया जावेगा।

28. किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर होगा।

29. वी0पी0पी0 के माध्यम से रेलवे रसीद स्वीकार्य नहीं होगी।

30.यदि बोली में किसी ऐसी शर्त का उल्लेख किया जाता है जो उक्त शर्तों के अतिरिक्त है अथवा इनके विरूद्ध है तो ऐसी बोली प्रथम दृष्टया निरस्त मानी जावेगी। किसी भी परिस्थिति में ऐसी कोई शर्त स्वीकृत नहीं मानी जावेगी।

31.यदि सफल बोलीदाता द्वारा अनुबन्ध / बोली की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो निगम द्वारा अनुबन्ध निरस्त किया जा सकेगा एवं कार्य सम्पादन बोली प्रतिभूति राशि जब्त करने का अधिकार होगा तथा इस हेतु निगम सफल बोलीदाता को किसी भी क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान नहीं करेगा।

32.भविष्य में यदि कोई अतिरिक्त कर लागू होता है तो सफल बोलीदाता द्वारा वहन किया जावेगा ।

33.निगम द्वारा प्रस्तावित बोली / निविदा के कियान्वयन, शर्तो एवं विवेचना के संबंध में निविदादाता / बोलीदाता से किसी प्रकार का विवाद होने पर, विवाद के निपटार हेतु सर्वप्रथम निगम के आदेश कमांक मुख्या / विधि / सामा / 17 / 781 दिनांक 03.10.2017 के द्वारा गठित स्टेण्डिंग कमेटी के सदस्य सचिव के स्तर पर पदस्थ अधिकारी द्वारा, विवाद संबंधी प्रार्थना पत्र विवाद के मूल्यांकन की 2 प्रतिशत फीस सहित प्राप्त होने पर, विवाद को कमेटी के समक्ष रखा जावेगा। कमेटी द्वारा दोनो पक्षो द्वारा प्रस्तुत क्लेम एवं

दस्तावेजों के आधार पर सुनवाई के उपरान्त आदेश पारित किया जावेगा, जिसकी सूचना सदस्य सचिव द्वारा दोनों पक्षों को भेजी जावेगी।

34. The Law relating to procurement "The Rajasthan Transparency in Public Procurement Act,2012" (hereinafter called the Act) and the "Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2013" (hereinafter called the Rules) under the said Act have come into force which are available on the website of state Public Procurement Portal http://sppp.raj.nic.in. Therefore, the Bidders are advised to acquaint themselves with the provisions of the Act and the Rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provisions of Act and the Rules and this Bidding Document, the provisions of Act and the Rules shall prevail.

35.बोली प्रपत्रो की समस्त शर्ते अनुबन्ध का हिस्सा होंगी।

मैने / हमने उक्त को सावधानीपूर्वक पढ लिया है तथा बोली की समस्त शर्ती व नियमों को ध्यान से समझ लिया हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

Jy.



Declaration by the Bidder

In rela	ation to my/our Bid subm	itted to			for procure	ement
of	in	response	to their	Notice	inviting	Bias
No	I	Dated	I/we her	eby declare	under Section	n 7 of
Daiget	han Transparency in Publi	icProcurement	Act. 2012 tha	t:		
1.	I/we possess the necessary	y professional,	technical, fin	ancial and ma	anageriai resc	ources
1	and competence required l	oy the Bidding	Document iss	ued by the Pr	ocuring Enui	y; mand
2.	I/we have fulfilled my/our	obligation to	pay such of th	e taxes payan	ing Document	m anu.
	the State Government or a	ny local authoi	ity as specifie	ing wound u	n not have m	v/our
3.	I/we are not insolvent, in	receivership, b	ankrupt or be	have my /ou	p, not have in chusiness act	ivities
	affairs administered by a c suspended and not the sub	ourt or a judic	lai officer, not	any of the for	regoing reaso	ns:
	suspended and not the sub- I/we do not have, and d	oject of legal pr	oceeuiligs for	not have bee	en convicted	of an
4.	I/we do not have, and c criminal offence related	to mulour n	rofessional co	anduct or th	e making of	ffalse
		contations as	to my/our	nualilications	S to circa	11100 4
	trit	hin a nariad a	t three vears.I	meceums are	COMMITTERIC	
	this procurement proces	s or not hav	ve been othe	rwise disqua	alified pursu	ant to
	1 1					
5.	I/we do not have a confli	ict of interest	as specified ir	n the Act, Rul	les and the B	idding
5.		11 - CCt- fair	'ampatition'			
6.		in the properti	non and siinii	ission of prop	oosal, I/we na	sh is or
0.	acted in collution with any	y other blader	and not done	any act, deed	or thing which	11/15/01
· ·						
7.		lare that I /YAY	e have not o	mered nor w	connection W	ith the
	gratification in cash or ar	ly other kind t	o any person	or agency in	Commedia	
11.00	instant proposal.	-	Ar.			•
					•	•
		.=	Sig	nature of bid	der	
Date	:		`	mai		

Place:

Signature of bidder Name:
Designation:
Address:

Grievance Redressal during Procurement Process:

The designation and address of the First Appellate Authority is MD.RSRTC
The designation and address of the Second Appellate Authority is Chairman, RSRTC

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under pare (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of appeal.
- (3) If the Officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (3), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.
- (4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of need of procurement;
- (b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid Process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) cancellation of a procurement process;
- (e) applicability of the provisions of confidentiality.
- (5) Form of Appeal
 - (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
 - (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.



- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.
- (6) Fee for filling appeal
 - (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
 - (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.
- (7) Procedure for disposal of appeal
 - (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
 - (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
 - (i) hear all the parties to appeal present before him; and
 - (j) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
 - (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
 - (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.



[See Rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012
Appeal No of (First/Second Appellate Authority)
Appeal No of (First/Second Appellate Authority) Before the
1. Particulars of appellant:
1, Particulars of appearance
(i) Name of the appellant:
(ii) Official address, if any:
(iii) Residential address:
2. Name and address of the respondent(s):
(i)
(ii)
(iii)
3. Number and date of the order appealed against
And name and designation of the officer/authority
who passed the order (enclose copy), or a
statement of a decision, action or omission of
the Procuring Entity in contravention to the provisions
of the Act by which the appellant is aggrieved:
4.If the Appellant proposes to be represented
By a representative, the name and postal address
of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6.Grounds of appeal:
minument of P.
(Supported by an affidavit)
7.Prayer:
Place
Date
Appellant's Signature





Additional Conditions of Contract:

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

(i) If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

(ii) If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

(iii) If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, it's Bid shall be disqualified and it's Bid security shall be forfeited or it's Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Building Document. It shall be without any charge in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.





Any person participating in a procurement process shall-

not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a (b)

financial or other benefit or avoid an obligation;

not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the (c) transparency, fairness and progress of the procurement process;

not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with (d)

an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

- not indulge in any coercion including impairing of harming or threatening to do the (e) same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- not obstruct any investigation or audit of a procurement process; (f)

disclose conflict of interest, if any; and (g)

Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country (h) during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a B

bidding process if, including but not limited to:

Have controlling partners/ shareholders in common; or a.

receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or b.

have the same legal representative for purposes of the Bid; or C.

have a relationship with each other, directly or through common third parties, d. that puts them in position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation e. by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one

Bid: or

the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the

Procuring Entity as engineer-in-change/ consultant for the contract.